महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक–एम.जे.पी.रू.वि. / प0नि0का0 / 2021 / 1704-08

दिनांक 21.8.2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / केन्द्राध्यक्ष
समस्त विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र
(एम. जे. पी. रू. वि बरेली)

विषय– विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2021 एवं आगामी परीक्षा सुधार / सेमेस्टर परीक्षा के पारिश्रमिक / यात्रा भत्ता बिल / देयक आनलाईन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2021 की परीक्षायें दिनांक 15.07.2021 से प्रारम्भ हो चुकी है। परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिकों देयकों / बिलों के पूर्व वर्षों की भुगतान व्यवस्था में परिवर्तन कर आनलाईन भुगतान की व्यवस्था बनाये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति को स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा 2021 एवं आगामी परीक्षा सुधार / सेमेस्टर परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा में प्रति छात्र की दर से पूर्व वर्षों में निर्धारित मानकों / दरों को दृष्टिगत रखते हुए पारिश्रमिक देयक / बिल तैयार करने हेतु संलग्न प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरकर विश्वविद्यालय को आनलाइन प्रेषित करें तदोपरान्त भुगतान की प्रकिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की जायेगी। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों पर परीक्षा देयक / बिल तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को संज्ञान मे लेते हुए विश्वविद्यालय को संलग्न प्रारूप पर आनलाईन प्रेषित करें–

1. लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा के संलग्न प्रारूप पर देयक / बिलों पर राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों / परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य / प्राचार्या / केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर (मोहर सहित) होना अनिवार्य है।
2. लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा के संलग्न प्रारूप पर देयक / बिलों पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / परीक्षा केन्द्र के प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या / केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर (मोहर सहित) होना अनिवार्य है।
3. परीक्षा के देयकों / बिलों की पूर्व वर्षों की निर्धारित दरों के अनुसार संलग्न प्रारूप पर ही देयक / बिल तैयार करें।
4. प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा हेतु आये शिक्षकों / परीक्षकों के यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता एवं पारिश्रमिक देयक / स्नातक एवं स्नातकोत्तर के देयक / बिल संलग्न प्रारूप पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत यात्रा भत्ता एवं देयक प्रपत्र उल्लिखित नियमानुसार पृथक पृथक तैयार कर प्रस्तुत करें। राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों से आये नियमित शिक्षक, जिनका ग्रेड पे 8700 से अधिक है को ए.सी. द्वितीय श्रेणी रेल किराये का भुगतान, कार से यात्रा प्रमाणित करने पर किया जायेगा। कार का नम्बर संलग्न प्रारूप प्रपत्र 2 पर अंकित करना आवश्यक है।
5. परीक्षा के देयक बिल संलग्न प्रारूप पर अलग अलग तैयार कर आनलाईन भुगतान हेतु परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ईमेल coe@mjpru.ac.in पर प्रेषित करें।
6. परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त तीन माह के अन्दर आनलाईन देयक / बिल स्वीकार किये जायेंगे। तीन माह उपरान्त कोई भी देयक / बिल आनलाईन / आफलाईन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. परीक्षा के पारिश्रमिक देयक /बिल एवं शिक्षको के यात्रा भत्ता एवं पारिश्रमिक बिल की मूल प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखें। आवश्यकता पड़ने पर जिसे देखा/जांचा जा सके।
8. परीक्षा की समाप्ति उपरान्त परीक्षा सम्बन्धी देयक/बिलों के सम्बन्ध में महा़विद्यालय द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र आनलाईन प्रस्तुत करना होगा ।
9. प्राचार्य/प्राचार्या /केन्द्राध्यक्ष एवं प्रबन्धक अथवा नामित सदस्य द्वारा स्कैन्ड हस्ताक्षर होगा तथा उसकी हस्ताक्षरित स्कैन कापी (Signed Scan Copy) भी विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत परीक्षा सम्बन्धी देयक/बिलों के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबन्धक एवं प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष के विरूद्व विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।
11. प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा के लिए केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/परिप्रेक्षक/सहायक परिप्रेक्षक एवं आन्तरिक उड़ाका दल को भुगतान देय नही होगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अपरिहार्य कारणों से दूसरे संस्थान/महाविद्यालय से अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक किसी भी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये जाते हैं तो उसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि परीक्षा सम्बन्धी देयक/बिलों के शीघ्र भुगतान हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रारूप/प्रपत्र आवश्यक निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार कर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की वेबसाईट coe@mjpru.ac.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
2 –वित्त अधिकारी।
3 –कुलसचिव।
4– श्री रवीन्द्र गौतम, प्रभारी वेबसाईट।

परीक्षा नियंत्रक

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

विश्वविद्यालय मुख्य/सुधार/सेमेस्टर परीक्षा वर्ष.................... परीक्षा मुख्य पृष्ठ

परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड –..

बैंक का नाम–...खाता सं0–..

आई.एफ.एस.सी. कोड ....ब्रांच का नाम ....

कम सं0	मद का नाम	कुल ड्यूटी सं0	दर	कुल धनराशि	विश्वविद्यालय कार्यालय प्रयोगार्थ
1	केन्द्राध्यक्ष		रू0 145/–प्रति पाली		
2	अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष(पूर्व अनुमति उपरान्त)		रू0 145/–प्रति पाली		
3	सहायक केन्द्राध्यक्ष(उड़ाका दल)		रू0 130/– प्रति पाली		
4	सहायक केन्द्राध्यक्ष(परीक्षा)		रू0 130/– प्रति पाली		
5	आन्तरिक उड़ाका दल		रू0 120/– प्रति पाली		
6	सहायक परिप्रेक्षक(हेल्पर)		रू0 120/– प्रति पाली		
7	परिप्रेक्षक(इनविजिलेटर)		रू0 120/– प्रति पाली		
8	लिखित परीक्षा(तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु)		रू 15/– प्रति नामांकित छात्र		
9(a)	व्यक्तिगत अंक पत्र वितरण		रू 04/– प्रति नामांकित छात्र		
(b)	परीक्षा सुधार अंक पत्र वितरण		रू 04/– प्रति नामांकित छात्र		
10	कंटिजेंसी(कार्यालय व्यय)		रू 10/– प्रति नामांकित छात्र		
11	डीजल(कुलपति जी की पूर्व अनुमति उपरान्त)		रू 04/– प्रति नामांकित छात्र		
	कुल योग				

संलग्नक–1 प्रबन्धक प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर मोहर सहित परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित

उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानको के आधार पर सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

परीक्षा–1

मुख्य/सुधार/सेमेस्टर परीक्षा 20........

परीक्षा केन्द्र का नाम– ....का तिथि वार विवरण

दिनांक	सत्र(पाली) प्रातः मध्यान्ह एवं सायंकालीन	परीक्षा का नाम	विषय तथा अन्य विवरण	परीक्षार्थियों की संख्या नामिनल रोल द्वारा	प्रयोग में लाये गये कमरों की संख्या	नियुक्त निरीक्षकों की संख्या			सहायक केन्द्राध्यक्ष का नाम जो नियुक्त किये गये		वरि./अतिरिक्त वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष का नाम परीक्षा सत्रवार
						परिप्रेक्षक	सहायक परिप्रेक्षक	उड़ाका दल	परीक्षा हेतु	उड़ाका दल	

1. ड्यूटी की संख्या का योग प्रत्येक पृष्ठ पर अवश्य करें एवं इसे मुख्य पृष्ठ के साथ संलग्न करें।

प्रबन्धक
हस्ताक्षर सहित

प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष
के हस्ताक्षर(परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित)

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा हेतु शिक्षकों /परीक्षकों को देय पारिश्रमिक वर्ष........................ प्रपत्र–1

परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड –..

कम सं0	परीक्षक का नाम व पता	कक्षा /विषय(स्नातक/ स्नातकोत्तर)	छात्र सं0	दर	धनराशि	5% TWF कटौती	कटौती उपरान्त धनराशि

प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित

प्रवन्धक
हस्ताक्षर मोहर सहित

उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानको के आधार पर सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
मूल देयक महाविद्यालय में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायेगें।

प्रपत्र–2

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

महाविद्यालय की प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा हेतु शिक्षकों /परीक्षकों को देय यात्रा भत्ता वर्ष.........................

परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड –..

क्रम सं0	परीक्षक का नाम व पता	ग्रेड पे	कक्षा/विषय	प्रस्थान			आगमन			यात्रा सड़क /रेल	किराया	आकस्मिक व्यय		सड़क कि0मी0 भत्ता		दैनिक भत्ता		योग
				स्थान	माह एवं दिनांक	समय	स्थान	माह एवं दिनांक	समय			कि.मी.	रू0	कि0मी0	रू0	दिन	रू0	रू0
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रबन्धक
हस्ताक्षर मोहर सहित

प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित

उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानको के आधार पर सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
मूल देयक महाविद्यालय में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायेगें।

प्रपत्र–3

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय प्रयोगात्मक परीक्षा पारिश्रमिक परीक्षा वर्ष...............

परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड –..

कम सं0	मद का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	दर रू0–10/– प्रति छात्र/प्रति विषय	धनराशि
				कुल योग	

प्रवन्धक
हस्ताक्षर मोहर सहित

प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित

उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानको के आधार पर सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। मूल देयक महाविद्यालय में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायेगें।

प्रपत्र–4

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय मौखिकी परीक्षा पारिश्रमिक परीक्षा वर्ष........... ......

परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड –..

कम सं0	मद का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	दर रू0–08/– प्रति छात्र/प्रति विषय	धनराशि
				कुल योग	

प्रबन्धक
हस्ताक्षर मोहर सहित

प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित

उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानको के आधार पर सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
मूल देयक महाविद्यालय में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायेगें।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के पत्र संख्या 3/2019 जी-2-41-2019-601/2011 दिनांक 5 मार्च, 2019 द्वारा सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के आधिकारियों को सम्मलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या सा. जी-2-175/दस-2011-601/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया गया है। जो विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों तथा प्राचार्य/अध्यापक/समिति पर लागू होगी।

दैनिक भत्ता, आनुषागिंक व्यय, सड़क भत्ता- ग्रेड वेतन/ वेतनमान के अनुरुप

क्रम संख्या	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	'क' वर्ग के नगरों के लिए (रुपये में)	'ख' वर्ग के नगरों के लिए (रुपये में)	साधारण दर 'क' व 'ख' वर्ग से भिन्न स्थानों के लिए (रुपये में)	आनुषागिंक व्यय/आकस्मिक व्यय (पैसे में)	सड़क मील भत्ता
1.	2800 से कम	390	300	240	30 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
2.	2800 4200	600	480	390	50 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
3.	4600 4800	720	570	480	50 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
4.	5400 6600 7600	840	660	540	70 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
5.	8700 व अधिक	930	750	600	70 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी

1. 'क' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होगी- कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोयडा क्षेत्र (गौतमवुद्ध नगर) और गाजियाबाद।
2. 'ख' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी- मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद।

सड़क मील भत्ताः- मोटर कार/ जीप आदि से की गई सड़क यात्राओं के लिए:-
रु० 6,600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों के लिए:-

क्रम संख्या	यात्रा की दूरी	पैट्रोल चलित वाहन (रुपये प्रति कि०मी०)	डीजल चलित वाहन (रुपये प्रति कि०मी०)
1.	प्रथम 500 किमी तक	10.00	7.50
2.	500 किमी से अधिक परन्तु 1200 किमी तक	7.00	5.50
3.	1200 किमी से अधिक की दूरी पर	शून्य	शून्य

नोटः प्रश्नगत व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू होगी जहाँ यात्रा करने वाले दो स्थान रेल अथवा बस से नहीं जुड़े हैं। रेल अथवा बस से जुड़े स्थानों के बीच यात्रा करने पर अर्ह श्रेणी में की गई यात्रा का टिकट प्रस्तुत करने पर, टिकट का वास्तविक मूल्य किसी अन्य साधन से यात्रा करने पर, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, ए०सी० द्वितीय श्रेणी का किराया अथवा यात्रा पर वास्तविक रूप से किए गये व्यय में से भी कम होगा, ही अनुमन्य होगा। जहाँ रेल अथवा बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन स्थानों के लिए सड़क मील भत्ते की देयता अनुमन्य होगी। विशेष परिस्थितियों में कुलपति के पूर्व अनुमोदन से टैक्सी से यात्रा करने पर टैक्सी का वास्तविक भाड़े का आंकलन करते हुए किराया देय होगा।

1. पर्वतीय स्थलों के यात्रा करने वाले को सड़क किमी भत्ता की दरों में 33.50% की वृद्धि पाने के हकदार होंगें।
2. जहाँ आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होगी। दैनिक भत्ता 1/4 देय होगा। जहाँ एक सुविधा आवास अथवा भोजन की सेवा उपलब्ध होगी वहाँ दैनिक भत्ता 1/2 की दर से देय होगा।
3. यदि एक स्थान की यात्रा रेल तथा सड़क दोनों माध्यमों से की जा सकती है परन्तु यात्रा सड़क मार्ग से कार द्वारा की गई है तो उस दिशा में यात्रा देयक का भुगतान (भत्ता तथा सड़क माइलेज) इस प्रकार किया जायेगा मानों यात्रा रेल द्वारा की गई है प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि सड़क से यात्रा करने से माइलेज आदि की भुगतान राशि रेल यात्रा के हिसाब से गणना करने पर कम न आ रही हो।
4. यदि एक स्थान रेल सड़क दोनों से जुड़ा हो तो यात्रा का भुगतान रेल अथवा सड़क में से जो मितव्ययी होगा, किया जायेगा।